संख्या-137/2018/1080/26-3-2018-4(56)/96 टी.सी.

प्रेषक

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामे

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2018

विषय:-अनुसूचित जनजाति केन्द्रपुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से निर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-10/42/ज.जा.वि./के.पु.दशमोत्तर/2017-18, दिनांक-05.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त गत वर्ष 2017-18 के अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर छात्र-छात्राओं की लम्बित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2225-02-796-01-0101-21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-1700.00 लाख के सापेक्ष रूपया-73.00 लाख (रूपया तिहत्तर लाख मात्र) धनराशि की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में निदेशक, जनजाति विकास उत्तरदायी नही है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/ डिपाजिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के0100रा0) 21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018- 231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

पृ0संख्या-137/2018/1080(1)/26-3-2018- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- राज्य योजना आयोग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in